



:: अधिसूचना ::

क्रमांक : 317/अका./2005

रायपुर, दिनांक : 09/02/2005

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थाई समिति की दिनांक 28.01.2005 को सम्पन्न बैठक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा आयोजित उत्तमा (हिन्दी साहित्य) परीक्षा को 10+2+3 (अर्थात् बी.ए. या स्नातक) के समकक्ष मानते हुए संस्तुति प्रदान की गई है। अतः उत्तमा (हिन्दी साहित्य) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी एम.ए. (हिन्दी साहित्य) विषय में प्रवेश की पात्रता रखते हैं। स्थाई समिति की अनुशंसा को कार्य परिषद की दिनांक 28.01.2005 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

आदेशानुसार,


(के. के. चन्द्राकर)
कुलसचिव 



पृ. क्रमांक : 318 /अका./ 2005

रायपुर, दिनांक : 09/02/2005

प्रतिलिपि :-

1. विद्या परिषद के स्थाई समिति के सदस्यों को,
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)


पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

दिनांक - 25/11/2004

पृ. क्रमांक / अका. / 2004

उक्त
उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय
भा.स. विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संचालित प्राच्य संस्कृत
परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने बाबत ।

कला संकायान्तर्गत गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 07.08.2004 द्वारा
विद्यालय द्वारा संचालित प्राच्य संस्कृत पाठ्यक्रम की निम्नानुसार समकक्षता
रेत की है :-

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा की समकक्षता
	प्रथम	पूर्व माध्यमिक परीक्षा (छ.ग. बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-8वीं 'आठवीं')
	पूर्व मध्यमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	हाईस्कूल परीक्षा (छ.ग. बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-नवमी+दसवीं)
	उत्तर मध्यमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	हॉयर सेकण्डरी (छ.ग. बोर्ड द्वारा संचालित 10+2, ग्यारहवीं-बारहवीं)
4.	शास्त्री (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	बी.ए./बी.ए. क्लासिक्स
5.	आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	एम.ए./एम.ए. क्लासिक्स

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व प्राच्य संस्कृत की परीक्षाओं का संचालन
श्री ए.डी. मोहिल, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं
प्रशिक्षण विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 589/419/49/3/89, दिनांक
21.09.1989 द्वारा समकक्षता निर्धारित कर सूचना प्रसारित की गई थी (पत्र की
छायाप्रति संलग्न है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना/अधिसूचना प्रसारित
करने की कार्यवाही करने का प्रबन्ध करें।

संलग्न : स.प्र. शासन, भोपाल का
पत्र दिनांक 21.09.1989

नन्ददास,
(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव
दिनांक : 25/11/2004

पृ. क्रमांक : 2163/अका. / 2004
प्रतिलिपि :-

कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव जी के निजी सहायक, पं. रविशंकर
शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कार्यवाही अधिकारी (अका.)

क्रमांक 181 / अका / कार्यवृत्त / 2003.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2003

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थाई समिति की दिनांक 22 जनवरी, 2003 का आयोजित बैठक का कार्यवृत्त-


उपस्थित सदस्य

- | | | |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1 / | प्रां.बो.वी. चन्दा | कुलपति-अध्यक्ष |
| 2 / | डॉ. आर.पी. सुखोजा | सदस्य |
| 3 / | डॉ. श्रीमती सत्यभामा आडिल | सदस्य |
| 4 / | डॉ. शैलेंद्र सराफ | सदस्य |
| 5 / | डॉ.डी.के. कटारिया | सदस्य |

सबसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आयोजित नव्यमा द्वितीय खंड का 10+2 की परीक्षा के समकक्ष मान्य करते हुए उत्तीर्ण छात्रों के विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। इसके सूचना उत्तीसगढ एच एम प्रो के अन्य विश्वविद्यालय को भी दी जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं को वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित किए जाने के सक्षम में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय अध्यापनशाला के अध्यक्षों को प्रकरण से अवगत कराया जाए, तथा उनके अनिन्त के साथ प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ पुनः रखा जाए।

आदेशानुसार,



(ए) मिज

कुलसचिव

पृ०क्र० 182 / अका / कार्यवृत्त / 2003, रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2003.

प्रतिलिपि-

- 1 / विद्या परिषद् के स्थाई समिति के समस्त सदस्यों को.
 - 2 / कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक.
- प्र० सचिवकए शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, का सूचनार्थ अग्रोषित।


कुलसचिव-जकाउ.